तीन राज्यों की जल कार्ययोजना को मंजूरी

मनीष तिवारी • जागरण

नई दिल्ली: तीन राज्यों-उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जल सुरक्षा कार्ययोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, जबकि सात अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने दूसरे चरण के प्रस्ताव सौंप दिए हैं। ये हैं-हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और अंडमान। राज्यों को अपनी-अपनी कार्ययोजना केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल दृष्टि@2047-भावी पथ के तहत देनी है। पिछले साल जनवरी में महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में सभी राज्यों के जल संसाधन सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पानी के प्रबंधन का समग्र खाका तैयार करने पर जोर दिया था। इस सम्मेलन में जल संसाधन मंत्रियों के पहले सम्मेलन की 22 सिफारिशों के अमल की स्थिति की समीक्षा भी की गई थी।

अपनी कार्ययोजना के लिए आर्थिक मदद दे रहा राष्ट्रीय जल मिशन

राष्ट्रीय जल मिशन राज्यों को कार्ययोजना बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। बड़े राज्यों को 50 लाख और छोटे राज्यों को 30 लाख रुपये दिए गए हैं। असम में तेजपुर स्थित उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान 19 राज्यों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि रुड़की का राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 16 राज्यों के लिए यही दायित्व निभा रहा है। 24 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब तक पहले चरण की ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं।

- उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने सौंपे अपने प्लान

- हरियाणा, मप्र, बिहार ने दूसरे चरण का ड्राफ्ट दिया

इन्हीं में से एक सिफारिश में राज्यों को अपनी जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार करनी है।

इस कार्ययोजना के तहत कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी के इस्तेमाल, उसकी उपलब्धता, जरूरतों, नियमन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास आदि की रूपरेखा बनानी है। यह माना गया है कि पानी के मामले में हर राज्य की अपनी जरूरतें और समस्याएं हैं और उन्हें एक नजरिये से हल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्यों को प्रयोग हो चुके पानी के फिर से इस्तेमाल के संदर्भ में भी अपनी कार्ययोजना बनानी है।

जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अभी तक 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एमओयू कर लिए हैं।

nwda.gov.in